




उपनाम:- विकेश बनाम अतारसिंह वगैरे  
दावा स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
4 <sup>12</sup> / <sub>24</sub>	<p>वादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलय कर पत्रावली दिनांक 21.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (पूजा मीना)                      उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर                      टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी                 </p>
21.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रद्द गया है। पीछे न अधिकारी...                       है। गतानुसार दिनांक 21.1.25 को पेश हो</p>
20 <sup>2</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रद्द गया है। पीछे न अधिकारी...                       है। गतानुसार दिनांक 27.3.25 को पेश हो</p>
27 <sup>3</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी छप वादी वकील की ओर उपस्थित नहीं वार वार कायाज डीकार है। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है। वादी का डीकार दावा स्थायी निषेधाज्ञा वादी छप वादी वकील की मदद-हाजिरी निरम पैरवी में वकील किया जाता है। पत्रावली केवल केवल डीकार नरूप से कम कर डीकार डीकार है।</p>

32895  
24/12/24

